कार्यलय अपीलेट अधिकारी संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2022/608

1. गौरीशंकर मालू एच.यू.एफ. जरियेकर्ता गौरीशंकर पुत्र श्री स्व. श्री रामप्रसाद मालू,
2. बद्रीनारायण मालू ए.यू.एफ. जरियेकर्ता संदीप कुमार पुत्र स्व. बद्रीनारायण मालू,
3. रूपनारायण मूल एच.यू.एफ जरियेकर्ता रूपनारायण पुत्र स्व. रामप्रसाद मालू,
4. रामनारायण मालू एच.यू.एफ. जरियेकर्ता रामनारायण पुत्र स्व. रामप्रसाद मालू, निवासीयान चौधरियों का मौहल्ला, नरायना, जिला जयपुर, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. जिला कलक्टर जयपुर कलक्ट्रेट जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–
1. **श्री गौरीशंकर मालू अपीलार्थी स्वयं**

निर्णय

दिनांकः 02.01.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील सुनवाई का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि पदाभिहित अधिकारी के यहॉ ग्राम नरायना तहसील फुलेरा जिला जयपुर में स्थित अपीलार्थी की खातेदारी व कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 2065 व 2067 रकबा 1.9473 हैक्टयर को वाणिज्यक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराने के लिये ऑनलाईन दिनांक 03.03.2022 को पेश किया गया व 1,94,730/– रूपये की राशि जमा करवाई गई। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त आवेदन से पूर्व इस भूमि के लिये एक ऑफलाई आवेदन पदाभिहित अधिकारी के यहॉ पेश करने पर ऑनलाईन प्रोसेसिंग हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम को भेजा गया था लेकिन उनके द्वारा इसको ऑनलाईन करने के बजाय उन्होने अपीलार्थी को ही ऑनलाईन करने के लिये पत्र दिनांक 18.02.2022 के भेजा गया जिसके प्राप्त होने पर ऑनलाईन करवाने की कोशिश की गई लेकिन सिस्टम की खराबी के कारण ऑनलाईन प्रक्रिया दिनांक 03.03.2022 को हुई आवेदन के साथ ऑनलाईन जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी व ऑनलाईन नक्शा, पटवार से प्रमाणित करवा कर संलग्न लगाये गये थे साथ ही अन्य आवश्यक दस्तावेजात की भी भेजे गये थे।

अपीलार्थी ने कथन किया है कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011 के अनुसार उक्त रूपान्तरण की समयावधि पदाभिहित अधिकारी के यहॉ 30 दिवस में सम्पादित करने का स्पष्ट आदेश

P.T.O.

है लेकिन कार्य को ऑनलाईन आवेदन दिनांक 03.03.2022 को 30 दिवस में सम्पादित नही किया गया जबकि तहसीलदार सांभरलेक के यहॉ से दिनांक 24.03.22 व 19.04.2022 एवं उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के यहॉ से दिनांक 01.04.2022 व 25.04.2022 को ही अपीलार्थीगण के आवेदन पर पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर संपरिवर्तन की अनुशंषा प्रदान कर दी गई थी।

अपीलार्थी संख्या 1 ने कथन किया है कि जिला कलक्टर के पत्र दिनांक 27.07.2022 के उक्त संपरिवर्तन आवेदन को अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका नरायना को नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित गया व हमे जो प्रति भेजी गई उसमें ऑनलाईन संपरिवर्तन आवेदन पत्र खारिज करने का केवल मात्र कारण बताया कि ''संपरिवर्तन हेतु आवेदित भूमि ग्राम नरायना को स्वायत्त शासन विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 27.06.2022 के द्वारा सम्पूर्ण पंचायत नरायना को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित की गई''

अपीलार्थी संख्या 1 ने कथन किया है कि तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम से निवेदन किया गया कि नियमों मे शिथिलता बरतते हुये उक्त संपरिवर्तन कार्यवाही जिला स्तर से ही करवाने की कृपा करावें एवं इस बारे में हमारे द्वारा पुनः दिनांक 16.08.2022/22.08.2022 को लिखित पत्र प्रस्तुत किया गया लेकिन इस बाबत पदाभिहित अधिकारी ने निर्देश के बाद भी कार्यवाही नही की गई जो राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011 की मूल भावना के विरूद्ध है।

अपीलार्थी ने कथन किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण लम्बित किया जाना स्पष्ट है इसलिये उक्त विलम्ब अवधि के लिये अपीलार्थी निर्दोष है जिसके लिये अपीलार्थी को राहत प्रदान कर अपील स्वीकार फरमाई जावें एवं दिनांक 03.03.2022 को अपीलार्थीगण द्वारा ऑनलाईन किये गये आवेदन को स्वीकार कर भूमि संपरिवर्तन की कार्यवाही पंदाभिहित अधिकारी के यहॉ से ही करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट ने अपने पत्रांक आर–6/विविध/नरायना/2022/7731 दिनांक 15.11.222 में अंकित किया है कि प्रकरण में आवेदकों को ऑन लाईन संपरिवर्तन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण में संपरिवर्तन कार्यवाही के दौरान ही आवेदित भूमि ग्राम नारायना को स्वायत्त शासन विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 27.06.2022 के द्वारा सम्पूर्ण पंचायत नरायना चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित कर दिये जाने से आवेदित भूमि शहरी क्षेत्र में आ जाने से भूमि रूपान्तरण नियमों में शहरी क्षेत्र में भूमि रूपान्तरण करने की अधिकारिता जिला कलक्टर को नही होने से प्रकरण में संपरिवर्तन कार्यवाही अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका नरायना जिला जयपुर को होने के कारण प्रकरण में संपरितर्वन के सम्बन्ध में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका नरायना को प्रषित किया गया। अतः अपील को खारिज फरमाने की कृपा करें।

P.T.O.

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलार्थी की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर है कि राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.06.2022 के द्वारा सम्पूर्ण पंचायत नरायना चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका घोषित कर दिया जाने से शहरी क्षेत्र में भूमि रूपान्तरण करने की अधिकारिता जिला कलक्टर को नही होने के कारण अपीलार्थीगण का प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका नरायना को भेजा गया है जो विधि सम्मत है किन्तु अपीलार्थीगण द्वारा जब दिनांक 03.03.2022 को ही अपना आवेदन ऑनलाईन कर दिया गया है तो अपीलार्थीगण के आवेदन पत्र को लम्बित रखा जाना विधि सम्मत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर जयपुर को निदेर्शित किया जाता है कि अपीलार्थीगण के प्रकरण को लम्बित रखने के तथ्यों की जॉच करवाई जाकर यदि कोई दोषी पाया जाये तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।